[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION _ 6 New Delhi, the 8th October, 2018

S.O.....(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board", Hyderabad, a board constituted by Government of Andhra Pradesh in respect of the following specified incomes arising to that board, namely:-

- Grants received from state government;
- (b) Water Cess;
- (c)Sewerage Cess;
- (d) Receipts from New connection charges, reconnection charges and disconnection charges;
- Interest and penalty on delayed payment of water cess; (e)
- Receipts from supply of water via tankers; (f)
- Income through sale of tender forms; (g)
- (h) Centage income;
- (i) Rental income from renting of buildings and hoardings;
- Interest on consumption deposits with power companies, and (j)
- (\mathbf{k}) Interest on fixed deposits with banks,
- This notification shall be effective subject to the conditions that Hyderabad 2. Metropolitan Water Supply and Sewcrage Board -
- shall not engage in any commercial activity; a)
- activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout b) the financial years; and
- shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section c) (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- This notification shall be deemed to have been applied for the Assessment year 2017-2018 and 2018-19 and shall apply with respect to the assessment years 2019-20, 2020-21 and 2021-22.

[Notification No. 6/ /2018, F.No.300196/58/2018-ITA-I]

(Vinay Sheel Gautam)

Under Secretary to the Government of India

Explanatory Memorandum:-It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

To

The Manager, Government of India Press, Mayapuri Press, New Delhi.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

का. आ... (अ) –आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (∳6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु "हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड" जोकि आन्ध्र प्रदेश द्वारा गठित बोर्ड है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतदद्वारा अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (ৰূ) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;
- (ম্ব) पानी उपकर;
- सीवरेज उपकर; (刊)
- कनेक्शन प्रभार, पुनः कनेक्शन प्रभार तथा कनेक्शन हटाने के प्रभार से प्राप्ति; (घ)
- पानी शुल्कों की अदायगी में विलंब पर ब्याज तथा शास्ति; (ड़)
- टेंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति से प्राप्ति; (च)
- टेंडर फार्मों के विक्रय से आय; (छ)
- (জ) सेंटेज आय;
- इमारतों तथा होर्डिंगों के किराए से किराए की आमदनी; (哥)
- ऊर्जा कम्पनियों के साथ खपत जमाओं पर ब्याज तथा (ञ)
- बैंकों में सावधि जमा से आय। (5)
- यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि "हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड,-2.
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा:
- विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और (평)
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी (ग) दायर करेगा।
- यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के लिए गागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लिए लागू होगी।

(अधिसूचना सं. 6) /2018 फा. सं. 300196/58/2018-आईटीए-I)

विनाम अपि जीतिम) (विनय शील गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापनः- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

सेवा में.

प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी प्रेस, नई दिल्ली ।